2-2-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि भूमि ख०नं० 1947, 1948, 1949 ग्राम उदेईकलां उनकी खातेदारी की भूमि है जिनमें अप्रार्थीगण तलाई खुदवाकर भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए इन्हें T.I. से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस में कहा कि, भूमि ख०नं० 1945, 1946 ग्राम उदेईकलां, अप्रार्थी सं.1 की पत्नि रचना की ~~[illegible]~~ खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण तलाई खुदा कर कब्जा करना चाहते हैं। इस भूमि का दि० 14-6-15 को हमने सीमाज्ञान भी कराया है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को परेशान करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने यह प्रा०पत्र पेश किया है। अतः इनका T.I. प्रा०पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। दोनो पक्षों को अपनी अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराने के पश्चात ही स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जावेगी। अतः T.I. प्रा०पत्र इसी प्रकार निर्णित किया जाता है एवं दोनों ही पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवा लें एवं मूल वाद के निर्णय तक भूमि ख०नं० 1947, 1948, ~~1494~~ 1949 ग्राम उदेईकलां की स्थिति मौके पर यथावत बनाए रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

(हस्ताक्षर)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मीना 3.1.2016